अतारांकित प्रश्न संख्या-279, प्रश्नकर्त्ता - श्री पंकज पुष्कर ।

	प्रश्न		उत्तर
(क)	दिल्ली की जेलों में ऐसे कितने लोग बंद हैं जो जिन संबंधित धाराओं में बंद हैं उनमें होने वाली सजा से (यदि उन्हें सजा हुई तो) अधिक अवधि जेल में बिता चुके हैं	(क)	दिल्ली की जेलों में ऐसा कोई भी बंदी नहीं है जो जिन संबंधित धाराओं में बंद हैं उनमें होने वाली सजा से (यदि उन्हें सजा हुई तो) अधिक अवधि जेल में बिता चुका हो ।
(ख)	यदि जेल में इस तरह के कैदी बंद हैं तो क्या यह नैसर्गिक न्याय की अवधारणा के विपरीत नहीं हैं	(ख)	उपरोक्त के संदर्भ में कोई जवाब नहीं है ।
(ग)	क्या दिल्ली सरकार के पास ऐसे कैदियों की कोई सूची उपलब्ध है जोकि (सजा पाए जाने पर भी) सजा की अवधि से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं	(ग)	उपरोक्त के संदर्भ में कोई जवाब नहीं है ।
(घ)	यदि ऐसी कोई सूची उपलब्ध है तो कृप्या विवरण सहित उपलब्ध करवाएं ।	(घ)	उपरोक्त के संदर्भ में कोई जवाब नहीं है ।
(च)	यदि नहीं, तो क्या प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के अनुपालन में दिल्ली सरकार विधिवत सर्वे करवाकर ऐसे कैदियों का आंकड़ा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर सकती है कि जिस धारा के अंतर्गत वे बंद किए गए हैं उससे अधिक अवधि जेल में बिता चुके हैं, और	(च)	उपरोक्त के संदर्भ में कोई जवाब नहीं है ।
(छ)	ऐसी परिस्थितियों से भविष्य में निबटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं ?	(छ)	दिल्ली जेलों में ऐसे विचाराधीन बंदियों की सूची समय-समय पर तैयार की जाती है जो जिन संबंधित धाराओं में बंद हैं उनमें होने वाली सजा की (यदि उन्हें सजा हुई तो) आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं एवं उसे दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ उपयुक्त निस्तारण के लिए साझा किया जाता है । इसके अतिरिक्त ऐसे बंदियों की सूची समय-समय पर 'विचाराधीन समीक्षा कमिटी' के पास दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा/माध्यम से उपयुक्त कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाती है ।

B.K. Puri,
Deputy Secretary,
Home General Department,
Govt. of NCT of Delhi,
5th Level, Delhi Secretariat
I.P. Estate, Delhi-110002